



**THE TIMES OF INDIA**

*Date: 26-04-25*

## **Post-Pahalgam**

***Security lapse questions need clear answers. LoC/border infra needs massive upgrade***

### **TOI Editorials**

Undeniably, Pahalgam has been a huge blow to India's security apparatus in J&K. Now, SOPs must be overhauled, systems reoriented, and coordination between agencies sharpened. But the revamp must begin with some tough questions. Was Baisaran Valley opened up to tourists much earlier than other years? Some reports say the area is usually open to visitors during the Amarnath Yatra, when there are stringent security arrangements. Whether or not local hoteliers and tour operators failed to inform authorities about tourist movement isn't clear. Were arrangements this week different to those in the last tourist season? Local tourism industry is arguing that govt didn't provide them with any alerts ahead of the tourist influx. Clearly, vital coordination between security forces and local businesses fell through the cracks.

**Border lacunae** | Note also that the terrorists had better eyes on the situation, saw an opportunity and struck. This shows that terrorists are constantly probing for weaknesses. That's why terrorists need to be stopped at the border/LoC itself. But there are multiple lacunae with border infra too. Govt had launched the Comprehensive Integrated Border Management System project after the 2016 Pathankot attack to upgrade border fencing with state-of-the-art surveillance systems. But it remains a work in progress, having missed two deadlines in 2018 and 2023.

**Bureaucracy that kills** | Plus, routine weather-related challenges with border fencing management remain. Damage to fencing due to winter snow takes months to repair because of both terrain and bureaucratic delays. Battery-operated surveillance equipment such as night-vision devices drain power quickly in the cold and can't be charged due to lack of power at many places along the border. Repairs to sensitive surveillance radar can take weeks. Fuel for generators that run searchlights often runs low. Even electrified fencing has proved to be ineffective in some places due to lack of steady electricity supply and low voltage. These leave gaps in the border fencing that terrorists exploit.

**Smuggling-terror nexus** | Arms – including weapons for Nato – are being smuggled into Punjab via drones. A similar smuggling route exists via Nepal. Nato-grade weapons have been seized from terrorists in J&K. This is happening under our noses. Why hasn't govt been able to crack down on the influx of smuggled weapons?

**Response failure** | Former army commanders are calling Pahalgam an intelligence failure. It's a familiar pattern, but the history of terrorist attacks this century shows the charge is misplaced. While the facts of Pahalgam are yet to be established, the Oct 7, 2023 Hamas attack, Pulwama, Uri, 26/11, and 9/11 all point to a different problem – "response failure". There were warnings in all these cases that weren't acted upon. America's 9/11 Commission report summed up the problem well: "No analytic work foresaw

the lightning that could connect the thundercloud to the ground.” And 9/11 was a colossal response failure. Leads about a possible attack had been coming in all summer, yet “as late as Sep 4” govt didn’t have an answer to the question, “Is al Qaeda a big deal?” Before 26/11, India received warnings of a major attack from its own sources and US. As for Pulwama, Frontline found there were at least 11 intelligence inputs between Jan 2 and Feb 13, 2019 – a day before the attack. Israel had been getting warnings of Hamas’s invasion plan since 2018. At least, its security agency, Shin Bet, has formally accepted its lapses within 18 months. In India, probes take long, and mea culpas are unheard of.

So, the least we expect after Pahalgam is a timely inquiry, and publication of its findings to restore people’s confidence. Govt owes it to the 26 victims of the massacre, and to Kashmir, which needs to return to normalcy.



## दैनिक भास्कर

Date: 26-04-25

### संसद को कोर्ट के विरोध में खड़ा करना गैरजरूरी टकराव

**पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )**

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक मिलनसार व्यक्ति हैं। कुछ साल पहले मैं कोलकाता में अपनी पुस्तक 'आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के महानतम दार्शनिक' पर बोल रहा था और राज्यपाल के रूप में उन्हें वहां लगभग 15 मिनट के लिए उपस्थित होना था। लेकिन वे मेरे भाषण के अंत तक रुके। बाद में, जब हम दिल्ली में मिले, तो उन्होंने इस अवसर को जीवंत रूप से याद किया, और बहुत उत्साह से प्रशंसा की। उनके आतिथ्य और तत्पर-विनोद ने मुझ पर एक अलग छाप छोड़ी।

हालांकि, संवैधानिक मामलों में हमारी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद गौण होती हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए तो यही ज्यादा मायने रखता है कि वे संविधान की कैसी व्याख्या करते हैं, और इसके भीतर महत्वपूर्ण घटकों की कैसी भूमिका देखते हैं। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में न केवल सर्वोच्च न्यायालय पर 'न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाया, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 142 को संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ 'परमाणु मिसाइल के रूप में इस्तेमाल करने की भी बात कही। ये कठोर शब्द हैं, अलबता उनकी आलोचना-वृत्ति नई नहीं है।

दिसंबर 2022 में पदभार संभालने के तुरंत बाद भी धनखड़ ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले (1973) पर सवाल उठाकर बहस छेड़ दी थी, जिसने संविधान के 'मूल ढांचे' की रक्षा के लिए एससी के अधिकार को स्थापित किया था। उन्होंने इसे संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करने के रूप में देखा। धनखड़ ने तर्क दिया था कि इस न्यायिक 'इनोवेशन' का संविधान में कोई स्पष्ट आधार नहीं था और इसने संसदीय संप्रभुता को कमजोर किया है।

तब भी उनकी टिप्पणियों को कई लोगों ने संविधान की व्याख्याता के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनौती की तरह देखा था।

लेकिन उनकी नवीनतम आलोचना, जिसमें उन्होंने राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में एससी के हस्तक्षेप पर निशाना साधा है ने बात को तूल दे दिया है। इसके मूल में राज्यपालों पर एससी की वे टिप्पणियां हैं, जिनमें विशेष रूप से विपक्ष- शासित राज्यों में विधेयकों को दबाए रखने की बात कही गई थी तमिलनाडु केरल और पंजाब में तो राज्य सरकारों ने राज्यपालों पर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया, जो वर्षों तक विधेयकों में टालमटोल करते हैं। ऐसे में त्वरित निर्णय लेने पर सर्वोच्च न्यायालय का जोर संवैधानिक कार्यालयों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हथियार बनाने से रोकने के लिए आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

लेकिन इस न्यायिक निरीक्षण के प्रति धनखड़ का प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है यह कि अगर संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य में विफल होते हैं, तो जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा?

संविधान स्वयं राज्यपालों या राष्ट्रपति को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा प्रदान नहीं करता है। ऐसे परिदृश्य में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक व्याख्या जरूरी हो जाती है। राष्ट्रपति को निर्देश जारी करने का प्रश्न तो हास्यास्पद है, क्योंकि वे एक ऐसे संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।

मेरे खयाल से, धनखड़ एक गलत व्याख्या कर रहे सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के लिए संसद के निर्विवाद संवैधानिक अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यह जांच रहा है कि क्या ऐसे कानून संविधान के अनुरूप हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। अगर ऐसा न हो तो कोई कार्यपालिका पर कोई रोकटोक नहीं होगी और वह बेलगाम हो सकती है।

उदाहरण के लिए, लोकसभा में पूर्ण बहुमत और राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल की सहायता से कोई राजनीतिक दल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला कानून पारित कर सकता है। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द करने का अधिकार होगा, क्योंकि वह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने वाला होगा। अनुच्छेद 25 भारत के सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका अभ्यास और प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है, वहीं संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता' भी प्रदान करता है।

संसद को सुप्रीम कोर्ट के विरोध में खड़ा करके धनखड़ एक अनावश्यक टकराव पैदा कर रहे हैं, जिसे संविधान ने स्पष्ट रूप से शुरू में ही हल कर दिया था। यह संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को खतरे में डाल सकता है।

# बिज़नेस स्टैंडर्ड

Date: 26-04-25

## जमीनी स्तर पर शासन

### संपादकीय



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिए अपने संबोधन में कहा कि बीते दशक में कई पहल की गई हैं। इस संबंध में हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) शुरू किया। देश की 2,16,000 पंचायतों को गरीबी उन्मूलन और बेहतर आजीविका, स्वास्थ्य, जल की पर्याप्तता, समुचित अधोसंरचना और सुशासन जैसे मानकों पर आंका गया और रैंकिंग प्रदान की गई। यह सूचकांक देश के सतत विकास के एजेंडे में ग्रामीण स्थानीय निकायों की अहम भूमिका की साहसी स्वीकारोक्ति है।

संयुक्त राष्ट्र जहां विभिन्न देशों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है और नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स राज्य स्तर के प्रदर्शन पर नजर रखता है वहीं हाल के वर्षों में इन लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर जोर दिया गया है ताकि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ में पीएआई एक स्वागतयोग्य कदम है और भविष्य में इसकी कवरेज को सभी 2,69,000 पंचायतों तक बढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल, इसके परिणाम चिंताजनक हैं एक भी पंचायत ऐसी नहीं रही जिसने अचीवर्स की श्रेणी में जगह बनाई हो। केवल 699 पंचायतों को अग्रणी घोषित किया गया है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर भौगोलिक असमानताएं भी हैं। 699 अग्रणी पंचायतों में से 346 गुजरात की, 270 तेलंगाना की और 42 त्रिपुरा की हैं, जबकि कई राज्य काफी पीछे हैं।

पंचायतें शासन का वह स्तर हैं जो जनता के सबसे करीब होता है। शीर्ष से नीचे की ओर आने के मॉडल के बजाय पंचायत के नेतृत्व वाला रुख ऐसी रणनीतियां बनाने की इजाजत देता है जो हर गांव की खास सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रख सकें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में तो यह और भी अहम है जहां अक्सर सबके लिए एक समान नीतियां नाकाम साबित होती हैं। बहरहाल, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन भी ग्रामीण स्थानीय निकायों के सुचारू कामकाज में एक बड़ी बाधा हैं। देश की अधिकांश TH पंचायतें फंड के लिए सरकार के ऊपरी स्तरों पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं और उनके पास अपने राजस्व के लिए बहुत सीमित संसाधन होते हैं। संपत्ति, स्थानीय बाजारों या कारोबारों पर या तो समुचित कर नहीं लग पाता या फिर इन पर कर लगाना राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील होता है, खासतौर पर गरीब या छोटे गांवों में ऐसा करना मुश्किल होता है। रिजर्व बैंक द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति पर कराया गया एक अध्ययन बताता है कि 2022-23 में सभी स्रोतों से प्रति पंचायत औसत राजस्व महज 21.23 लाख रुपये था। इसमें से स्थानीय करों और शुल्क द्वारा उनका निजी राजस्व कुल राजस्व का केवल 1.1 फीसदी ही था।

सीमित तकनीकी अधोसंरचना और डिजिटल साक्षरता की कमी भी समस्या को बढ़ाती है इनकी वजह से निगरानी, आकलन और प्रगति की रिपोर्टिंग पर असर पड़ता है। जमीनी स्तर पर प्रयासों का विभाजित होना भी उतना ही दिक्कतदेह है। गांवों में कई सरकारी विभाग बहुत कम तालमेल के साथ एक ही समय पर काम करते हैं। इसका परिणाम काम के दोहराव और संसाधनों की बरबादी के रूप में सामने आता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों और योजनाओं में तालमेल नहीं होने पर अक्सर सतत विकास लक्ष्यों के अधीन परिकल्पित समग्र विकास दूर ही बना रहता है। पंचायतों की पूर्ण संभावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उनकी सांस्थानिक क्षमता बढ़ाई जा सके। इसमें लक्षित प्रशिक्षण मुहैया कराना, डिजिटल समावेशन को बढ़ाना, निर्णय प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा और फंड का समय पर आवंटन शामिल है। विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी महत्वपूर्ण है।

# राष्ट्रीय सहारा

*Date: 26-04-25*

## लापरवाही का नतीजा

### संपादकीय



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उप्र सरकार को उत्पन्न कचरे का यथार्थवादी मूल्यांकन करने, ठोस अपशिष्ट के 100% संग्रहण व पृथक्करण की निगरानी के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने एनसीआर के राज्यों को नियमित अनुपालना रिपोर्ट देने के लिए एक सितंबर का वक्त दिया है। उसके बाद तिमाही अपडेट करने को भी कहा है। अदालत ने इन राज्यों व

दिल्ली नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के विषय में जनता को शिक्षित करने का अभियान चालू करने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा है कि जब तक प्रावधानों का उचित प्रचार नहीं किया जाता और गैर-अनुपालन पर दंड लागू नहीं किया जाता तब तक प्रभावी कार्यान्वयन मायावी बना रहेगा। अदालत ने धूल प्रदूषण करने वाले निर्माण व विध्वंस उल्लंघन के विषय में बाद में निर्देश जारी करने की भी बात की। कचरे को व्यवस्थित रूप से बायोडिग्रेडेबल, गैर- बायोडिग्रेडेबल व खतरनाक श्रेणी में अनिवार्य रूप से अलग करना पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में प्रति दिन ग्यारह हजार टन से अधिक ठोस कचरा पैदा होता है, जिसमें से आधे को लैंडफिलों में डंप किया जाता है, जो खतरनाक स्तर पर बहुत पहले ही पहुंच चुके हैं। लैंडफिलों से निकलने वाली मिथेन गैसों का जलवायु पर भयानक असर होता है। दिल्ली ही नहीं, बनिस्बत नये बसे इलाकों फरीदाबाद, गुरुग्राम व ग्रेटर नोएडा भी कचरा प्रबंधन

से जूझ रहे हैं। पहले भी शीर्ष अदालत इन इलाकों के कचरे को लेकर रिपोर्ट तलब कर चुकी है। शहरों का विस्तार या नई प्लानिंग के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था को सुनिश्चित करने के सख्त नियम बनाने के जरूरत है। भारत सरकार के स्वच्छता मिशन सरीखे अभियान के दस वर्ष पूरे होने के बावजूद इसका कोई असर स्वच्छता पर नजर नहीं आ रहा जिसे लागू करना राज्य सरकारों का जिम्मा है। सरकार को चाहिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अक्ल आने वाले इंदौर के कचरा प्रबंधन से अधिकारियों को सीख लेने की हिदायत दे। ऐसा मॉडल लागू करे जो अपशिष्ट प्रबंधन का उचित दिशा-निर्देशन करे और जनता को जागरूक करने के लिए अन्य विभाग भी मुस्तैद किए जाएं।

**Live**  
**हिन्दुस्तान**  
**.com**

*Date: 26-04-25*

## अपनी हरित ऊर्जा से दुनिया को राह दिखाने लगा भारत

**निरंकार सिंह, ( पूर्व सहायक संपादक, हिंदी विश्वकोश )**

भारत तेजी से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहा है। निरंतर निवेश और नवाचार के साथ यह एक आत्मनिर्भर अक्षय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में जुटा है। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में चीन व अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। गौर कीजिए, साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले इस मामले में हम 10 अग्रणी देशों में नहीं थे।

दरअसल, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के उदय के कारण भारत का ऊर्जा परिदृश्य बदल रहा है। कभी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने वाला यह देश अब तेजी नवीकरणीय ऊर्जा को अपना रहा है। यह बदलाव आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और स्वस्थ पर्यावरण से प्रेरित है। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ स्वच्छ हवा है। कोयले के उपयोग को हतोत्साहित करने वाली सौर ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह सेहत के लिहाज से किसी वरदान से कम नहीं। भारी वायु प्रदूषण वाले शहरों में स संबंधी समस्याएं इससे कम हो सकती हैं। सौर ऊर्जा उद्योग कई क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है। पैनल निर्माण और सिस्टम स्थापना से लेकर रखरखाव और ग्रिड एकीकरण तक रोजगार के हजारों अवसर इसमें उभर रहे हैं।

वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर नजर रखने वाली संस्था 'एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू' की छठी रिपोर्ट के पिछले साल वैश्विक स्तर पर पवन व सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन का 15 प्रतिशत उत्पादित किया गया। वहीं कम कार्बन उत्सर्जन वाले स्रोतों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा स्रोतों से 40.9 प्रतिशत बिजली पैदा हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब पवन व सौर ऊर्जा से बिजली बनाने में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। 2024 में हमने इनदोनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन के मामले में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। पूरी दुनिया में जितनी बिजली पवन और सौर ऊर्जा से बनी, उसमें से 10 प्रतिशत भारत ने बनाई।

भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले दस वर्षों में सौर पैनल, सौर पार्क और रूफटॉप सौर परियोजनाओं जैसी पहल से ये क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। परिणामस्वरूप, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि विश्व को नई राह भी दिखा रहा है। भारतीय सौर ऊर्जा क्षेत्र ने पिछले एक दशक में असाधारण 34.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी है, जो वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर आज 100 गीगावाट हो गई है। 31 जनवरी, 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 100.33 गीगावाट हो गई है।

इसके अलावा, वर्तमान में 84.10 गीगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम चल रहा है तथा 47.49 गीगावाट की दूसरी सौर परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया के चरण में हैं। भारत में हाइब्रिड और 'राउंड द क्लॉक' नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भी वृद्धि देखी गई है। राउंड द क्लॉक का अर्थ ऐसी परियोजनाओं से है, जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराती हैं। 64.67 गीगावाट की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन या निविदा के चरण में हैं। इससे सौर और हाइब्रिड परियोजनाओं की कुल क्षमता 296.59 गीगावाट हो जाएगी।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का अनुमान है कि यदि देश की कुल बंजर भूमि के तीन प्रतिशत क्षेत्र पर सोलर पैनल बिछा दिए जाएं, तो 748 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों में 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक घटाना और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50 फीसदी बिजली उत्पादन शामिल है। इसके अलावा, कॉप-26 में भारत ने पंचामृत की घोषणा की थी। इसके तहत भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे तेज वृद्धि वाला बाजार है। इसलिए यह क्षेत्र निवेशकों के दृष्टिकोण से आकर्षक बन गया है। चूंकि भारत अपनी ऊर्जा मांग को अपने दम पर पूरा करना चाहता है, जिसके 2040 तक 15,820 टेरावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए अक्षय ऊर्जा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

---